अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

सत्र परीक्षण संख्या–1170/2008
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रमोद

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त प्रमोद गैर हाजिर है। अभियुक्त की ओर से न तो कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और न, ही वह कई तिथियों से लगातार उपस्थित आ रहा है।

अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध गैर जमानतीय आदेशिका व धारा–83द0 प्र0 सं0 की आदेशिका तथा उनके जामिनदारों को धारा–446 द0 प्र0सं0 के नोटिस जारी किये जाने पर थाना द्वारा यह आख्या प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त दिये गये पते पर निवास नहीं करता है। जिसके समर्थन में ग्राम पंयायत अभयपुर बहलोलपुर, अलीगढ़ का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त की गॉव में कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है और न, ही अभियुक्त गॉव में निवास करता है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध उसकी हाजिरी सुनिश्चित किये जाने के बावत गैर जमानतीय आदेशिका तथा धारा–83 द0 प्र0 सं0 की आदेशिका को तामील नहीं किया जा सका है। मामला सन 2007 से विचारण हेतु लम्बित है।

अभियुक्त के जामिनदार राम सिंह पुत्र बद्री सिंह पर प्रेषित नोटिस अन्तर्गत धारा–446 द0 प्र0 सं0 के अनुक्रम से थाना द्वारा यह आख्या प्रस्तुत किया गया है कि उक्त जामिनदार की मृत्यु दिनांक 16–08–2022 को हो चुकी है जिसके संदर्भ का मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है।

जबकि जामिनदार चन्द्रभान पुत्र सियाराम निवासी रिवाड़ा थाना गुन्नौर जिला संभल को मोबाइल नं0 97509445 पर वाट्सप से नोटिस भेजकर तामीला रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार अभियुक्त प्रमोद के जामिनदार चन्द्रभान पर नोटिस प्रेषित किये जाने के बावजूद भी जामिनदार न, तो न्यायालय उपस्थित आया और न, ही उसके द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया। जिसके आधार पर जामिनदार चन्द्रभान की जमानत धनराशि मुवलिग तीस हजार रूपये जब्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार उक्त धनराशि की जामिनदार चन्द्रभान से वसूली हेतु वसूलयावी वारण्ट जारी हो।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त प्रमोद को अन्तर्गत धारा–299 द0प्र0सं0 फरार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त प्रमोद **को अन्तर्गत धारा–299 द0 प्र0 सं0 फरार घोषित किया जाता है।**

अभियोजन साक्षीगण जरिये जमानतीय अधिपत्र तलब हों।

अतः पत्रावली वास्ते साक्ष्य अन्तर्गत धारा–299 द0 प्र0 सं0 दिनांक **25–10–2024** को पेश हो।

दिनांकः 16–10–2024

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2024.10.16 17:44:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court